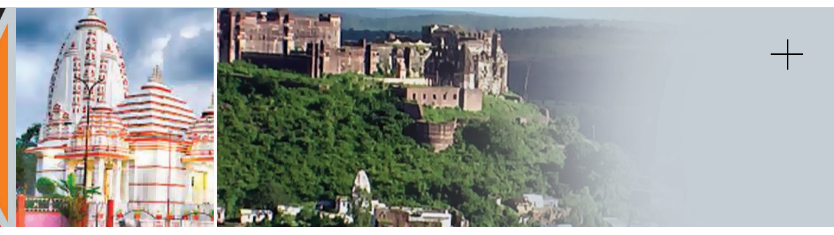

एक नजर में

कूप खुदाई का कार्य मौके पर शुरू

नवभारत न्यूज, राजगढ़ 10 फरवरी, का. ग्राम बेदर ग्राम पंचायत रिछडिया जनपद पंचायत खिलचीपुर निवासी श्रीमती मोत्याबाई पति हरलाल का जनसुनवाई के दौरान हितैषी कूप के संबंध आवेदन प्राप्त हुआ. मनरेगा योजना अंतर्गत श्रीमती मोत्याबाई पति हरलाल का पात्रता अनुसार हितैषी कूप स्वीकृत करते हुए मौका स्थल पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले के निर्देश अनुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित गुप्ता, सीईओ जनपद खिलचीपुर, सहायक लेखाधिकारी मनरेगा जनपद खिलचीपुर, सरपंच एवं ग्राम रोजगार सहायक की उपस्थिति में कूप खुदाई का कार्य मौके पर शुरू कराया गया है.

पैट शो सीजन 2 आज

राजगढ़ 10 फरवरी, का. पशुपालन एवं डेयरी विभाग राजगढ द्वारा जिले में पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मनाया जा रहा है. जिसमें पिछले वर्ष अनुसार पुन: पैट शो सीजन 2 (डॉग शो एवं कैट शो) का आयोजन आज 11 फरवरी को प्रात: 10 बजे से जिला पशु चिकित्सालय परिसर राजगढ में किया जाएगा. जिसमें डॉग एवं कैट की समस्त प्रकार की प्रजातियों की अलग अलग कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरूस्कार वितरण किया जाएगा. आयोजन में पशु चिकित्सा शिविर, विभिन्न विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार, पशुक्रूरता निवारण एवं नियमों का प्रचार प्रसार एवं अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी. कार्यकम के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. जिसके चित्रकला प्रदर्शन एवं पुरूस्कार वितरण भी पैट शो में आमंत्रित अथितियों के द्वारा छात्र छात्राओं को किया जाएगा. डॉग/कैट शो में भाग लेने हेतु सभी पशुपालक शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन एवं पूर्ण जानकारी हेतु पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क कर सकते हैं.

80 लीटर अवैध देशी शराब के साथ मोटर साइकिल जब्त

नवभारत न्यूज

सुठालिया 10 फरवरी, सं. बीती रात्रि पुलिस द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटर साइकिल (बिना नंबर प्लेट) पर अवैध देशी शराब लेकर ग्राम खनोटा की ओर से कस्बा सुठालिया की ओर आ रहे हैं. थाना प्रभारी को सूचित करते ही थाना टीम से प्रआर आशीष दुबे, श्याम शर्मा, सोनू अहिरवार एवं पंच जसवंत नायक को साथ लेकर माँ वैष्णोदेवी मंदिर के सामने, मधुसूदनगढ़ रोड पर घेराबंदी की गई. कुछ समय पश्चात एक काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटर साइकिल आती दिखाई दी, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे तथा मोटर साइकिल के दोनों ओर दो सफेद रंग की केन लटकी हुई थीं. पुलिस बल व पंचों की सहायता से दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया. मौके पर केनों की जांच करने पर प्रत्येक केन में 40-40 लीटर क्षमता का सफेद रंग का तरल पदार्थ पाया गया

भैंसवाधाम से लौटे 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी

पड़ाना के समीप ग्राम मऊ के ग्रामीणजन पहुंचे थे भैंसवाधाम स्थित मेले में

टंकी से पीया था पानी, बॉटल भी भरकर लाये थे अपने साथ में

45 से 50 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक ग्रामीण को सारंगपुर अस्पताल में भर्ती किया

जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची मौके पर, मरीजों का किया जा रहा उपचार

टीम पहुंची भैंसवामाता धाम, टंकी से लिए सैम्पल

स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की टीम भैंसवामाता धाम पहुंची तथा वहां मौजूद पानी टंकी का परीक्षण कर पानी के सैम्पल लिए गये, टंकी की सफाई कराकर फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है. ग्रामीणों के बताए अनुसार संबंधित पानी की टंकी से पानी के सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजे गये है. जिला महामारी नियंत्रक अधिकारी डा. महेन्द्रपाल सिंह के अनुसार पीड़ित लोगों की उचित जांच कर उपचार किया जा रहा है. बराबर निगरानी रखी जा रही है, फिलहाल सभी की स्थिति में काफी सुधार है.

नवभारत न्यूज

पड़ाना/ब्यावरा 10 फरवरी, सं. सारंगपुर तहसील के पड़ाना कस्बे के समीप ग्राम मऊ के ग्रामीणजन भैंसवाधाम स्थित मेले में रविवार को ट्रेक्टर ट्रॉली से गये हुए थे. वहां से लौटने के बाद से ही 45 से 50 ग्रामीणों को उल्टी-दस्त, घबराहट, चक्कर आने की शिकायत होने लगी. इनमें बड़े, बच्चे सभी शामिल है. जानकारी लगने पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा उपचार शुरु किया गया. प्रथम दृष्टया बीमार लोगों में अधिकांशत: द्वारा वहां मौजूद टंकी से पानी पीया था इसके बाद इनकी तबीयत बिगडने की बात सामने आ रही है.

जानकारी के अनुसार ग्राम मऊ से लगभग 45 से 50 ग्रामीणजन ट्रेक्टर ट्रॉली में सवार होकर भैंसवामाता धाम गये हुए थे. जहां पर यह मेले में भी पहुंचे. ग्रामीणों के अनुसार बच्चों ने मेले में आईस्क्रीम खाई जबकि बड़ो ने कुछ खाया नहीं. इनका कहना है कि इनके द्वारा यहां मौजूद पानी टंकी से अवश्य पानी पीया और बॉटल में भी पानी भरकर यह लाये. गांव लौटने के बाद इनकी तबीयत बिगडने लगी. अधिकांशत: उल्टी-दस्त, पेट दर्द की शिकायत हुई.

बीमार ग्रामीणजन में नंदन सिंह पिता गंगाराम राजपूत 32 वर्ष, सुरक्षा पति नंदन सिंह 30 वर्ष, विराट पिता नंदन सिंह 8 वर्ष, विराज पिता नंदन सिंह 3 वर्ष, लक्ष्मीबाई पति लाडसिंह उम्र 30 वर्ष, लाड सिंह पिता हरिसिंह उम्र 35 वर्ष, अभिका पिता लाडसिंह उम्र 5 वर्ष, जीवी पिता कमल सिंह उम्र 4 वर्ष, नर्मदा बाई पति जगदीश उम्र 42 वर्ष, मनीषा पिता जगदीश उम्र 16 वर्ष, हंसराज पिता जगदीश उम्र 12 वर्ष, किरण पिता मुकेश उम्र 8 वर्ष, कोमल पति रामसिंह उम्र 45 वर्ष, मधु पति प्रहलाद सिंह उम्र 30 वर्ष, प्रहलाद सिंह पिता गजराज सिंह उम्र 38 वर्ष, वर्षा पिता लाडसिंह उम्र 6 वर्ष तथा राधा पिता जगदीश बैरागी शामिल है.

गांव पहुंचकर किया उपचार

ब्लॉक एवं जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्राम मऊ पहुंची तथा बीमार ग्रामीणजनों का उपचार शुरु किया गया. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लोगों में उल्टी दस्त की शिकायत होना सामने आया है. जिनका उचित उपचार शुरु कर दिया गया है. एक मरीज को सारंगपुर सिविल अस्पताल भेजा गया है जहां पर उनका उपचार किया गया.

बाइक से स्मैक तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को पकड़ा

संकटमोचन बड़ली निवासी आरोपी हिरासत में

नवभारत न्यूज

राजगढ़ 10 फरवरी, का. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संकट मोचन निवासी मेहरबान तंवर नाम का व्यक्ति अपनी मोटरसाइकल के टंकी के कवर में अवैध मादक पदार्थ हेरोइन (स्मैक) को लेकर किसी बाहरी तस्कर को देने जाते समय पकड़ा है.

थाना कोतवाली राजगढ़ थाना प्रभारी एवं उनकी टीम ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई जिससे आरोपी तस्कर को समय रहते पकड़ लिया गया. संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई गई तथा जप्त मशरूका को विधिवत् सीलबंद कर मालखाने में सुरक्षित रखा गया. प्रकरण में अपराध क्रमांक 77/26 धारा 8,21 एनडीपीएस एक्ट 1985 का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है. आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. आरोपी के पास से हेरोइन (स्मैक) 9.38 ग्राम वजनी कुल कीमती 80 हजार सहित डीलक्स मोटरसाइकिल कीमत 80 हजार जब्त किया है.

आरोपी मेहरबान पिता रामकिशन तंवर निवासी संकट मोचन कॉलोनी, राजगढ़ को गिरफ्तार किया है. कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मंजू मखेनिया, उनि हरिओम रघुवंशी, उनि सरिता मिश्रा, दिलीप मीणा और ललित तोमर शामिल रहे.

बालिका को न्याय मिला, न्यायिक प्रक्रिया से चालाकी करने वालों को कड़ा संदेश

पीड़िता द्वारा बयान बदलने के बाद भी आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली

नवभारत न्यूज

राजगढ़ 10 फरवरी, का. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट राजगढ़ द्वारा अपने न्यायालय के सत्र प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने बताया कि कालीपीठ थाना निवासी पीडिता द्वारा आवेदन देकर बताया कि बीते 14 फरवरी 2025 के रात में करीब 9.00 बजे दूध लेने के लिए घर से बाहर गांव की एक दूध डेयरी पर गई थी. वापस आते समय पीछे से मोटर सायकल से आरोपी आया और बोला मेरे साथ गौशाला तरफ चलो. मना करने पर आरोपी पीडिता को जबरजस्ती अपने साथ ले गया और गौशाला के पीछे गलत काम (बलात्कार) किया. किसी को भी बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी. आरोपी वहां से पीडिता को लेकर वापस उसके घर के पीछे छोडकर चला गया. भय के चलते पीडिता ने घर आकर अपने माता-पिता को घटना के बारे में नही बताया. दूसरे दिन 15 फरवरी 2025 के शाम को सारी बात अपने माता-पिता को बताई एवं थाने पर जाकर रिपोर्ट की. रिपोर्ट के आधार पर थाना कालीपीठ में आरोपी के विरूद्ध पॉक्सो का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई. पीडिता की सहमति उपरांत उसका मेडिकल परीक्षण किया. और घटना के समय पहने गए कपडे जप्त किये गए. डीएनए सेम्पलिंग, पीडिता के कथन, परिजनों के कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराये गए. घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया. पीडिता के स्कूल से स्कॉलर रजिस्टर की प्रति एवं आयु प्रमाणिकरण प्राप्त किया. मोटर सायकल जप्त की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी का भी चिकित्सक के माध्यम से डीएनए सेम्पल लिया गया. पीडिता के जप्तशुदा आर्टिकल एवं आरोपी के सेम्पलों को डीएनए परीक्षण हेतु वैज्ञानिक परीक्षक को भेजा. प्रकरण में अभियोजन की ओर से सभी आवश्यक साक्षियां को परीक्षित करवा कर प्रमाणित कराया. जिसके बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए. अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 11000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव, के विशेष मार्गदर्शन में की गई.

दबाव में बयान बदले, लेकिन न्यायालय ने फैसला सुनाया

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में पीड़िता और साक्षीगण आरोपी पक्ष के प्रभाव में आकर न्यायालय में अपने बयानों से पलट गए थे. जिसके उपरांत भी अभियोजन ने अपना मामला साबित करने के लिए चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक और डीएनए करने वाले वैज्ञानिक अधिकारी के साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष कराये व डीएनए रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी को मुख्य आधार बनाया एवं प्रभावी लिखित बहस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की. जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया. उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान सहायक निदेशक अभियोजन, श्री आलोक श्रीवास्तव के विशेष मार्गदर्शन में प्रभावी अभियोजन संचालन किया जिसके कारण मुख्य गवाह पलटने के बाद भी आरोपी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया. न्यायालय के निर्णय से जिले में बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों के आरोपियों को एक कड़ा संदेश मिला है. अपराध करने के बाद उससे बचने के हथकण्डे अपनाने वाले अपराधी बच नहीं सकते. उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलती है. जिससे लैंगिक अपराध के आरोपी की यह भ्रांती दूर हुई है कि लैंगिक अपराध कारित करने के बाद फरियादी पक्ष से राजीनामा करने के बाद भी न्यायालय मूकदर्शक बने हुए नहीं रह सकता. अपराधी अपने किये गए अपराध के लिए दण्ड का भागी बनेगा.

राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय ज्ञान परंपरा विज्ञान, संस्कृति एवं दर्शन का समन्वय का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

नरसिंहगढ़ 10 फरवरी, सं. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़ में मंगलवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय ज्ञान परंपरा विज्ञान, संस्कृति एवं दर्शन का समन्वय का शुभारंभ हुआ. सेमिनार का उद्घाटन विधायक मोहन शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी ने की. बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलगुरु डॉ. एसके जैन तथा अनुविभागीय अधिकारी सुशील कुमार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत से किया गया. मुख्य अतिथि मोहन शर्मा ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को राष्ट्र की चेतना बताते हुए युवाओं को इससे जुड़ने का आह्वान किया. कुलगुरु डॉ. एसके जैन ने भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान, संस्कृति और दर्शन के समन्वय पर प्रकाश डाला. अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी ने वैदिक काल में भारत के महान दार्शनिक चिंतन को प्रासंगिक बताया. शैक्षणिक सत्र में डॉ. रमाकांत भारद्वार (एमिटी यूनिवर्सिटी, कोलकाता) ने वैदिक गणित तथा डॉ. देवीदास कल्लापा बामणे संघर्ष (महाराष्ट्र) ने भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व पर व्याख्यान किया. तकनीकी सत्र में हरीश मिश्रा, डॉ. फारूक पठान, कु. खुशी गुप्ता सहित शोधार्थियों व विद्यार्थियों ने शोध पत्रों का वाचन किया. कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री सत्येन्द्र सिंह राठौड, मण्डावर मण्डल अध्यक्ष बृजमोहन गुर्जर भी मौजूद रहे. प्राचार्य डॉ. चेतन कुमार त्रिपाठी एवं डॉ. सुनीता गुप्ता ने स्वागत किया.

रेल भूमि विकास प्राधिकरण

RLDA रेभूविप्रा भूमि से सम्पदा

ई-निविदा के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित करता है

चार रेलवे स्टेशनों पर 9 वर्षों के लिए एकीकृत स्टेशन सुविधा प्रबंधन सेवा हेतु

भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन

(आरएफपी नोटिस सं. आरएलडीए/2026/आरएफपी/आईएसएफएम/16 दिनांक 27.01.2026)
धनात्मक वार्षिक प्रीमियम (प्रथम वर्ष)
बिडर्स द्वारा भरा जाएगा।

गुरुग्राम रेलवे स्टेशन

(आरएफपी नोटिस सं. आरएलडीए/2026/आरएफपी/आईएसएफएम/17 ऑफ 2026 दिनांक 27.01.2026)
धनात्मक वार्षिक प्रीमियम (प्रथम वर्ष)
बिडर्स द्वारा भरा जाएगा।

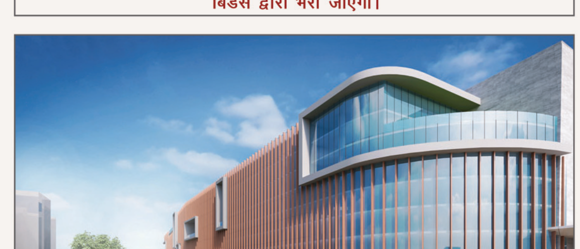

सफदरजंग रेलवे स्टेशन

(आरएफपी नोटिस सं. आरएलडीए/2026/आरएफपी/आईएसएफएम/15 ऑफ 2026 दिनांक 27.01.2026)
धनात्मक वार्षिक प्रीमियम (प्रथम वर्ष)
बिडर्स द्वारा भरा जाएगा।

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन

(आरएफपी नोटिस सं. आरएलडीए/2026/आरएफपी/आईएसएफएम/20 ऑफ 2026 दिनांक 28.01.2026)
धनात्मक वार्षिक प्रीमियम (प्रथम वर्ष)
बिडर्स द्वारा भरा जाएगा।

विशेषताएं

- नगर के मध्य स्टेशन, जिसका हवाई, सड़क और रेल से उत्कृष्ट संपर्क।
- अपार यात्रियों के आवागमन वाला स्टेशन जहाँ वाणिज्यिक राजस्व की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।
- आधुनिक सुविधाओं (सीसीटीवी, लिफ्ट, एस्केलेटर, बीएमएस आदि) से सुसज्जित।
- फूड कोर्ट, रिटेल, कियोस्क, सशुल्क लाउंज, पार्किंग, विज्ञापन एवं कार्यालय स्थलों में व्यवसाय के उत्कृष्ट अवसर।

कार्य क्षेत्र

- हाउसकीपिंग
- संचालन एवं रखरखाव
- वाणिज्यिक गतिविधियाँ

इस परियोजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु, कृपया हमारी वेबसाइट https://rlda.indianrailways.gov.in पर जाएँ या ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.tenderwizard.in/rlda पर 'ई-टेंडर' शीर्षक के अंतर्गत देखें।

ऑफलाइन एवं ऑनलाइन — सभी स्टेशनों के लिए प्री-बिड मीटिंग का विवरण 12.02.2026 को 11:30 बजे

स्थान — कान्फ्रेंस हॉल, आरएलडीए मुख्यालय, नई दिल्ली-110002

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया संपर्क करें:

भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन
मुख्य परियोजना प्रबंधक/कोलकाता, cpmrldakolkata@gmail.com, मोबाइल: 9508880993
सलाहकार (ई एंड वाई), sulabh.goel@in.ey.com, मोबाइल: 9899911835
अधिक जानकारी हेतु यहाँ स्कैन करें।
ऑनलाइन ई-बिड जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 19.03.2026 को 15:00 बजे तक

गुरुग्राम रेलवे स्टेशन
मुख्य परियोजना प्रबंधक/नई दिल्ली-4, cpmnd4@gmail.com, मोबाइल: 9717428300
सलाहकार (ई एंड वाई), jyotiranjan.jena@in.ey.com, मोबाइल: 9650075233
अधिक जानकारी हेतु यहाँ स्कैन करें।
ऑनलाइन ई-बिड जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 18.03.2026 को 15:00 बजे तक

सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली
मुख्य परियोजना प्रबंधक/नई दिल्ली-3, cpm3.rlda@gmail.com
सलाहकार (ई एंड वाई), sulabh.goel@in.ey.com, मोबाइल: 9899911835
अधिक जानकारी हेतु यहाँ स्कैन करें।
ऑनलाइन ई-बिड जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 11.03.2026 को 15:00 बजे तक

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल
मुख्य परियोजना प्रबंधक/जयपुर, gramkumawat@gmail.com, मोबाइल: 8529157458
सलाहकार (ई एंड वाई), sulabh.goel@in.ey.com, मोबाइल: 9899911835
अधिक जानकारी हेतु यहाँ स्कैन करें।
ऑनलाइन ई-बिड जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 19.03.2026 को 15:00 बजे तक

नोट:- कोई भी शुद्धिपत्र या परिशिष्ट केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

ई-निविदा पूछताछ हेतु: श्री सूरज सिंह (सीईएल) । ई-मेल: suraj@etenderwizard.com । मोबाइल: 9599653865

रेल भूमि विकास प्राधिकरण, यूनिट संख्या 702-बी, 7वां तल, कन्नेक्टस टावर-2, डीएमआरसी बिल्डिंग, अजमेरी गेट, दिल्ली - 110002

धर्म — **महाशिवरात्रि पर सारंगपुर में होंगे अनूठे आयोजन**

विभिन्न नदियों के पवित्र जल से होगा तिलभांडेश्वर महादेव का अभिषेक

नवभारत न्यूज

सारंगपुर 10 फरवरी, सं. कालीसिंध नदी के तट पर स्थित ओंकार स्वरूप शिवालयों के नगर में स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में आगामी 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रात: 6 बजे से मंदिर परिसर में महादेव का वैदिक विधि से स्नान-अभिषेक किया जावेगा. आकर्षक श्रृंगार कर महा आरती के साथ भव्य दर्शन होंगे. महाशिवरात्रि की शाम को रात्रिकाल में सायं 6.19 बजे से अगले दिन प्रात: 6.48 बजे तक चार पहरों में शास्त्रानुसार पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं पूजन-अभिषेक किया जाएगा.

इस दौरान पूज्यनीय वृक्षों की जड़ों की मिट्टी, वल्मीकी मृदा, पुण्य नदियों, तीर्थों एवं समुद्रों के पावन जल से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर महाशिवपुराण में वर्णित विधि अनुसार विविध सामग्रियों से अभिषेक, बिल्व-पत्र एवं पुष्प अर्चन किया जाएगा. मंदिर समिति अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल समिति के वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश सोनी गुजराती संजय व्यास कोषाध्यक्ष संतोष पुष्पद पंडित गोपाल वेद्य राहुल राठौर रामनारायण पुष्पद रामू चौरसिया राजू पुष्पद अभिषेक उर्फ वीरु शिवहरे महेश शर्मा शत्रुघन पुष्पद ने समस्त श्रद्धालुजनों से अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस पुण्यप्रद आयोजन में सहभागी बनकर पुण्य लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया गया है.